I.D. (MP)'s Office
Diary No. 08-G
Date 04/01/12.

Director (Plg.) MPD-2021
Dy. No. 1856
Date 3-1-12

393

MOST IMMEDIATE

O.S.D. (PLG)
Diary No. 625
Date 3-1-2012

Commr. (Plg) - II
Despatch I-326
Date 30-12-11

No. K-12011/4/2011-DDIB-II
भारत सरकार/Government of India
शहरी विकास मंत्रालय /Ministry of Urban Development
निर्माण भवन/Nirman Bhavan
नई दिल्ली/New Delhi
Dated 26-12-11

Dy. Dir.I (Plg.) MPPR-2021
DDA, Vikas Minar, N. Delhi
Dy. No. I-384
Dt. 15.2.12

OFFICE OF THE DIR (Plg.)
MPR/TC, D.D.A. N. DELHI-2
Dy.No. 1806
Dated 13/2/12

To

	The Vice Chairman, Delhi Development Authority, Vikas Sadan, INA, New Delhi. 1	2.	The Commissioner, Municipal Corporation of Delhi, Civic Centre, Minto Road, New Delhi-2
	The Chairman, New Delhi Municipal Council, Palika Kendra, New Delhi.	4.	The Principal Secretary(UD), Govt. of NCT of Delhi, I.P.Estate, New Delhi

Com (B/S)-II
29/12/2011

Subject:- निजी प्राथमिक विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने हेतु।

...

Sir,

I am directed to forward herewith a copy of representation dated 7-12-2011 received from डॉ. पूजा जोशी मुख्यमंत्री के संयुक्त सचिव दिल्ली सरकार on the subject cited above for appropriate action, under intimation to this Ministry.

Yours faithfully,

(Sunil Kumar)
Under Secretary (DDIB)
Tel.No.23061681

3223-B
29/12/2011

A.D. (Plg)-III

DD(MP)

Encl. as above.

pl check if the same is discussed in MPG & putup for MPD-2021 review.

Similar ref. was earlier received pl. link it
5/1/12

03/1/12

Pl. called
This is a representation of chairman Education Committee forwarded by chief minister office and L.G. office vide which it is mentioned that earlier 200 sqm area was required for primary school which has been increased to 800 sq.m in new master plan. Since there is a scarcity of land in Delhi the area of 200 sqm may be followed for primary school. This is a matter related to modification in Master plan may be seen by Dy. Dir (MP&DC) or in the Master Plan review.
8/2/12

UT-I
Dir (MP)
AD (Plg) MPR
As desired this may seen by A.D.(Plg)-III because I am proceeding on LTC
10/02/12

342

दूरभाष : 23392020
23392030
फैक्स : 23392111

सत्यमेव जयते

जय हिन्द

मुख्य मंत्री कार्यालय

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
दिल्ली सचिवालय, आई. पी. एस्टेट
नई दिल्ली - 110113

OFFICE OF UDM
Dy. No. 4536
Date 20.12.11

माननीया मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार के कार्यालय में प्राप्त डॉ0 महेन्द्र नागपाल, अध्यक्ष, शिक्षा समिति, दिल्ली नगर निगम द्वारा माननीय शहरी विकास मंत्री महोदय को सम्बोधित पत्र दिनांक 23 नवम्बर, 2011 की प्रतिलिपि जो कि निजी प्राथमिक विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने के मामले के बारे में है, स्वतःस्पष्ट, मूल रूप में उपयुक्त कार्यवाही हेतु संलग्न हैं ।

पूजा जोशी

(डॉ0 पूजा जोशी)
मुख्यमंत्री के संयुक्त सचिव

20/12
PS to UDM

निजी सचिव, माननीय शहरी विकास मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली

संख्याःमुमं/पीजीसी/वीआईपी/11/06/5629 दिनांकः 07-12-2011

For IB

डॉ. महेन्द्र नागपाल
Dr. Mahender Nagpal
(LL.B., Ph.D.), Councillor
Chairman :
Education Committee
Municipal Corporation of Delhi
Member :
1. Law & General Purposes Committee
2. Naming & Renaming of Street etc. Committee

391

Phone : Off. : 23228107
Res. : 27431152
Mob. : 9811062006
9958693067

Office : Shyama Prasad Mukherjee Bldg.
Room No. 107, 1st Floor
A-Block, Civic Centre

Res. : B-125, Ashok Vihar
Phase-I, Delhi-110052

Ref. No. : 192 *Dated :* 23/11/11

आदरणीय श्री कमलनाथ राय जी,

सप्रेम नमस्कार,

दिल्ली नगर निगम शिक्षा विभाग द्वारा निजी प्राथमिक विद्यालयों को मान्यता प्रदान की जाती है। विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने के लिए कुछ नियमों का (नार्मस) पालन करना अनिवार्य होता है। **मास्टर प्लान आने से पहले इन्हीं नियमों (नार्मस) में से एक विद्यालय का एरिया 200 वर्ग मीटर का होना अनिवार्य था लेकिन नये मास्टर प्लान के अन्तर्गत यह एरिया 800 वर्ग मीटर हो गया है।** ऐसे में जिन आवेदनकर्ताओं ने मास्टर प्लान आने से पहले आवेदन किया था उन विद्यालयों को भी शिक्षा विभाग ने मान्यता देने से रोक दिया जिससे सभी आवेदनकर्ता अपने विद्यालय की मान्यता के लिए आग्रह करते हैं इसलिए शिक्षा समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि उन विद्यालयों को भी मान्यता दी जाए जिन्होंने मास्टर प्लान आने से पहले आवेदन किया था एवं जिनका सर्वे भी हो चुका है। ऐसे 35 स्कूल है जिनको 3 वर्ष पहले मान्यता मिल जानी चाहिए थी।

शिक्षा का अधिकार अप्रैल 2012 तक लागू होना है, बच्चों को प्रवेश से वंचित नहीं रखा जा सकता है उसके लिए हमें सभी विद्यालयों को मान्यता देना आवश्यक है। दिल्ली जैसे शाहर में 800 वर्ग मीटर स्थान का अभाव है। अतः मास्टर प्लान में 200 वर्ग मीटर स्थान को ही रखा जाए तो उचित रहेगा एवं बिना मान्यता प्राप्त स्कूलो को मान्यता दे दी जाए जो नियम का पालन कर रहे है।

इस सम्बन्ध में हमने पहले भी एक पत्र पूर्व शहरी विकास मंत्री श्री जयपाल रेड्डी जी को लिखा है, परन्तु अभी तक इस सम्बन्ध मे की गई कार्रवाई की कोई जानाकारी हमारे पास नहीं आई है। अतः इस सम्बन्ध में आपसे पुनः निवेदन है कि इस समस्या का कोई ठोस हल निकाला जाए। आशा है कि आप मामले की गम्भीरता को समझते हुए तुरन्त निर्णय लेकर सूचित करेंगे।

धन्यवाद।

31580
25/11/2011

डॉ. महेन्द्र नागपाल

केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री,

भारत सरकार, नई दिल्ली

29/11/11

PS to Min (UD)

प्रतिलिपि:-

1. माननीय मुख्यमंत्री, दिल्ली

डॉ. महेन्द्र नागपाल
Dr. Mahender Nagpal
(LL.B., Ph.D.), Councillor
Chairman :
Education Committee
Municipal Corporation of Delhi
Member :
1. Law & General Purposes Committee
2. Naming & Renaming of Street etc. Committee

Phone : Off. : 23228107
Res. : 27431152
Mob. : 9811062006
9958693067

Office : Shyama Prasad Mukherjee Bldg.
Room No. 107, 1st Floor
A-Block, Civic Centre

Res. : B-125, Ashok Vihar
Phase-I, Delhi-110052

Director (Plg.) MPD-2021 Dy. No. 1780 Date 19-12-11

O.S.D. (PLG) Diary No. 491 Date 19-12-11

Commr. (Plg) - II Despatch 1103 Date 16-12-11

RAJ NIWAS Delhi Diary 40663 Dated 1/12

O.S.D. (MP)'s Office Diary No. 1526 Date 20/12/11

4888-C 15/12/2011

Ref. No. : 193 *Dated :* 23/11/11

आदरणीय श्री कमलनाथ राय जी,

सप्रेम नमस्कार,

OSD (RM)

दिल्ली नगर निगम शिक्षा विभाग द्वारा निजी प्राथमिक विद्यालयों को मान्यता प्रदान की जाती है। विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने के लिए कुछ नियमों का (नार्मस) पालन करना अनिवार्य होता है। **मास्टर प्लान आने से पहले इन्हीं नियमों (नार्मस) में से एक विद्यालय का एरिया 200 वर्ग मीटर का होना अनिवार्य था लेकिन नये मास्टर प्लान के अन्तर्गत यह एरिया 800 वर्ग मीटर हो गया है।** ऐसे में जिन आवेदनकर्ताओं ने मास्टर प्लान आने से पहले आवेदन किया था उन विद्यालयों को भी शिक्षा विभाग ने मान्यता देने से रोक दिया जिससे सभी आवेदनकर्ता अपने विद्यालय की मान्यता के लिए आग्रह करते हैं इसलिए शिक्षा समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि उन विद्यालयों को भी मान्यता दी जाए जिन्होंने मास्टर प्लान आने से पहले आवेदन किया था एवं जिनका सर्वे भी हो चुका है। ऐसे 35 स्कूल है जिनको 3 वर्ष पहले मान्यता मिल जानी चाहिए थी।

शिक्षा का अधिकार अप्रैल 2012 तक लागू होना है, बच्चों को प्रवेश से वंचित नहीं रखा जा सकता है उसके लिए हमें सभी विद्यालयों को मान्यता देना आवश्यक है। दिल्ली जैसे शाहर में 800 वर्ग मीटर स्थान का अभाव है। अतः मास्टर प्लान में 200 वर्ग मीटर स्थान को ही रखा जाए तो उचित रहेगा एवं बिना मान्यता प्राप्त स्कूलो को मान्यता दे दी जाए जो नियम का पालन कर रहे है।

इस सम्बन्ध में हमने पहले भी एक पत्र पूर्व शहरी विकास मंत्री श्री जयपाल रेड्डी जी को लिखा है, परन्तु अभी तक इस सम्बन्ध मे की गई कार्रवाई की कोई जानाकारी हमारे पास नहीं आई है। अतः इस सम्बन्ध में आपसे पुनः निवेदन है कि इस समस्या का कोई ठोस हल निकाला जाए। आशा है कि आप मामले की गम्भीरता को समझते हुए तुरन्त निर्णय लेकर सूचित करेंगे।

Put up in file to Dy Dir MPGMC

धन्यवाद।

डॉ. महेन्द्र नागपाल

केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री,
भारत सरकार, नई दिल्ली

प्रतिलिपिः-

1. माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली

VC DDA
DD(MP) 19/12/11
Dir (MP)
OSD (Plg)
Com(P'S)-II

SS may pl see. Master Plan amendment issue.